

**बिहार सरकार**  
**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

पत्रांक :— 6 / प्राक्क 01-1171 / 2024— । ४ ।

पटना — 15, दिनांक :— २०. १. २५

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

**विषयः—** बांका जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में पूर्व से निर्मित 173 अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजना, जिसके निर्माण के पश्चात् 5 वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना-2 के तहत अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव हेतु कुल-1563.08 लाख रु० (पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख आठ हजार रुपये) मात्र की राशि पर योजना की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति।

**आदेश** — बिहार राज्य के बांका जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में 173 अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना-2 के तहत अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव हेतु कुल-1563.08 लाख रु० (पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख आठ हजार रुपये) मात्र की राशि पर योजना की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस योजना में 100% राशि राज्य योजना मद से वहन किया जाना है।

2. बिहार राज्य के बांका जिला अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में 173 अदद मिनी पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण के पश्चात् पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव की अवधि समाप्त हो गई है, का मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना-2 के तहत अगले पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव समाप्त हो गई है, में पेयजल की सत्तत व्यवस्था बनाये रखने हेतु अगले पाँच (05) वर्ष के परिचालन एवं रख—रखाव की आवश्यकता है।

3. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित योजनाओं के परिचालन एवं रख—रखाव से संबंधित प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसके क्रियान्वयन पर कुल-1563.08 लाख रु० (पन्द्रह करोड़ तिरसठ लाख आठ हजार रुपये) मात्र का व्यय संभावित है, जिसका तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है। इस प्राक्कलित राशि में योजनाओं के पाँच (05) वर्षों के परिचालन एवं रख—रखाव (विद्युत प्रभार सहित) की राशि शामिल है। प्राक्कलन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।

4. योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि का बजटीय उपबंध है।

5. जलापूर्ति योजनाओं का संचालन, संपोषण एवं मरम्मति का कार्य विभागीय संकल्प संख्या 543, दिनांक 28.06.2021 द्वारा प्रावधानित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुरूप संपादित किया जायेगा।

6. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट में मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं का परिचालन एवं रख—रखाव लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट द्वारा किया जायेगा।

7. इस योजना के परिचालन एवं रख—रखाव पर होने वाले व्यय का बजट शीर्ष—मुख्य शीर्ष 2215—जलपूर्ति तथा सफाई—उपमुख्य शीर्ष 01—जलपूर्ति, लघु शीर्ष 102—ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, उपशीर्ष 0107—ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव—सात निश्चय-2, विपत्र कोड-36-2215011020107 विषय शीर्ष-0107-27-02 अनुरक्षण एवं मरम्मति मतदेय शीर्ष अंतर्गत भारितव्य होगा।

8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बाराहाट होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य पूँजी कराना सुनिश्चित करायेंगे।

10. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम-से-कम क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना नियमित प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा आवश्यकतानुसार निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

11. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

12. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन/ मुख्यालय), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।

13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निकासी की जायेगी।

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—एम4—53/2007/3758/वि०, दिनांक —31—05—17 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

15. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

16. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्णविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

17. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जायेगी।

18. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी गई है।

19. वर्ष 2024—25 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

20. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

(राजेश प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)

ज्ञापांक — 6/प्राक्क01—1171/2024— 141

पटना — 15 ,दिनांक :- 20 . 1 . 25

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/कल्याण विभाग, बिहार/जिला पदाधिकारी, बांका/ कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख—सह—विशेष सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार/ मुख्य अभियन्ता (उत्तरी/दक्षिणी बिहार)/ मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/ मुख्य अभियन्ता (यांत्रिक)/ विशेष पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता (मो०)/ बजट पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता (मो०२)—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक (अने०)/ कार्यपालक अभियंता(मो०१)/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं०—२ एवं ३/ प्रशाखा—६/ १२/ कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी—६/आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर/ अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, भागलपुर/ कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कार्यपालक अभियंता स्वीकृत योजना की मदों की मात्रा, दर एवं गणना में भूल को तुरंत विभाग के संज्ञान में लायेंगे। इसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

5. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश प्रसाद सिंह)

अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)